

इन्द्राज दुरुस्ती
(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सेवामें-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

गंगापूर सिटी


कापी सप्ल
Date
7-11-25


विषय:- जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर के खाता संख्या 10
मे इन्द्राज दुरुस्ती सूचित ।

महोदय,

प्रार्थी:- श्री प्रभुलाल पुत्र सोवल्या जाति-बैरवा निगत सहजपुर

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर के खाता संख्या 10 मे प्रार्थी की पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा चमार अंकित है। अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी पिता, माता का नाम/जाति/ हिस्सा बैरवा शुद्ध करवाना चाहता है। हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी के पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा बैरवा दर्ज किया जाना उचित है।


हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक


हस्ताक्षर पटवारी
पं.स. गंगापूर सिटी

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापूर सिटी


क्रमांक 5246

दिनांक 6-11-25

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि जाति- चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर जाति- बैरवा दर्ज करवाने की अभिशंषा की जाती है।

7/39

17-11-25


तहसीलदार(भू.अ.)
गंगापूर सिटी (संख्या 5246)

क्रमांक 165
17-11-25


न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापूर सिटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण मे ग्राम सहजपुर तहसील गंगापूर सिटी जिला सवाईमधोपुर की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 मे खाता संख्या 10 मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि जाति- चमार के स्थान पर जाति- बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते है।

2020

546


उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)

3107
07/11/25